

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 527

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

एनएलसी से राज्यों को बिजली आपूर्ति

527. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएलसी) द्वारा उत्पादित बिजली प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और नेवेली संयंत्र से प्रत्येक राज्य विशेषकर तमिलनाडु को कितनी बिजली की आपूर्ति की जाती है;

(ख) विभिन्न राज्यों को बिजली वितरित करने के लिए एनएलसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारेषण अवसंरचना और नेटवर्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिजली वितरण दक्षता में सुधार के लिए एनएलसी के पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ या विस्तारित करने की कोई योजना है;

(घ) बिजली वितरण के दौरान पारेषण हानि, ग्रिड स्थिरता और बिजली की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का एनएलसी किस प्रकार समाधान करता है;

(ङ) एनएलसी विभिन्न राज्यों को बिजली के आवंटन का निर्धारण किस प्रकार करता है और बिजली आवंटन के लिए किन प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है; और

(च) क्या एनएलसी और तमिलनाडु या अन्य राज्यों के बीच कोई दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और उसके संयुक्त उद्यमों (जेवी) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा 23131.6 एमयू थी। वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को आपूर्ति की गई बिजली का विवरण इस प्रकार है:-

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम्स को आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा
तमिल नाडु	10651.5
आंध्र प्रदेश	1524.1
उत्तर प्रदेश	967.2
राजस्थान	1659.9
कर्नाटक	4057.5
केरल	1870.3
तेलंगाना	1168.0
पुदुचेरी	1017.9
पंजाब	39.7
जम्मू और कश्मीर	144.1
चंडीगढ़	5.0
हिमाचल प्रदेश	10.1
मध्य प्रदेश	1.6
उत्तराखंड	12.9
असम	1.8

(ख) : एनएलसीआईएल राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू)/सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के माध्यम से विकसित ट्रांसमिशन अवसंरचना (विद्युत ग्रिड) के माध्यम से अपने संयंत्रों के स्विचयार्ड एक्स-बस से विभिन्न राज्यों को बिजली की आपूर्ति कर रहा है।

(ग) एवं (घ) : एनएलसीआईएल की विद्युत पारेषण गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं है तथा यह जिम्मेदारी एसटीयू/सीटीयू की है।

(ङ.) : राज्यों को विद्युत आवंटन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के "केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में विद्युत आवंटन संबंधी दिशानिर्देश" पर आधारित है।

(च) : एनएलसीआईएल के टीपीएस II चरण-I, टीपीएस II चरण-II, टीपीएस II विस्तार और एनएनटीपीपी के लिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनएलसीआईएल के टीपीएस I विस्तार संयंत्र के लिए, इसने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी और तेलंगाना के साथ दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
